प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 103 / **2024** (अपील सूचना का अधिकार)

सुरेश कुमार प्रजापत पुत्र मोहनलाल प्रजापत निवासीः चिकलवास पालड़ी, तहसील–गिर्वा, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार झाडोल उदयपुर (राज.)

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः ....

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 18.06.2024 को एक प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को प्रमाणित सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र कमांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/103/24/977–78 दिनांक 22.08.2024 से लिखा गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार झाडोल द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार झांडोल द्वारा अपने जवाब जरिये पत्रांक 2409 दिनांक 18.09.2024 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक आवेदन कर सूचना चाही गई थी। उक्त आवेदन पत्र कार्यालय को आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील करने के उपरांत प्रथम अपील सूचना पत्र दिनांक 18.09.2024 को प्राप्त हुआ। उक्त सूचना पत्र के साथ प्रस्तुत सूचना लेने के आवेदन की छाया प्रति प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 18.09.2024 को प्रेषित कर दी गई। अतः अपील निरस्त करने का श्रम करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा किये गये आवेदन दिनांक 18.06.2024 की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार झाडोल के कार्यालय में प्राप्त नहीं होने से प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। प्रथम अपील करने के उपरांत प्रत्यर्थी को प्रथम अपील सूचना पत्र के साथ अपीलार्थी के द्वारा किये गये आवेदन की प्रति प्राप्त हुई। चूंकि प्रत्यर्थी को आवेदन की प्रति दिनांक 18.09.2024 को ही प्राप्त हुई एवं उसी दिन प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है।

प्रकरण में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना जरिये पत्रांक 2409 दिनांक 18.09.2024 से उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसी स्थिति में पत्रावली पर अब किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं **रह जाने से अपील अपीलार्थी खारिज** की जाती है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार झाडोल, उदयपुर को सूचनार्थ **एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित** की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर